शहर गड्ढे में क्यों न जाए जब टाउन प्लानर ही अनपढ़ हो

फ़रीदाबाद (म.मो.) नियमानुसार टाउन प्लानर तथा सीनियर टाउन प्लानर पद के लिये आर्किटेक्चर अथवा सिविल इंजीनीयर की डिग्री का होना अनिवार्य है। इसके विपरीत जब आईटीआई के ड्राफ्ट्समेन को इस पद पर बैठा दिया जाय तो वह अनपढ़ ही कहलायेगा। दरअसल अब प्लानिंग एवं नियमन का कोई काम एमसीएफ़ में रह नहीं गया है, केवल फ़ाइलें घुमा कर लोगों से पैसा ऐंठने का काम ही रह गया है इसलिये डिग्रीधारकों की बजाय यह काम महिपाल जैसे अनपढ़ लोग ज्यादा बेहतर कर सकते हैं।

31 मार्च 2020 को रिटायर हुए महिपाल सिंह की भ्रष्टाचार में महारत को देखते हुए खट्टर सरकार ने उसे एक साल का सेवा विस्तार दोबारा दे दिया। इतना ही नहीं 31 मार्च 2021 को उसे एक साल का सेवा विस्तार और दे दिया गया। शायद खट्टर सरकार को महिपाल से बेहतर लूट-मार करके अधिकारियों व नेताओं की बेहतर भेंट-पूजा करने वाला और कोई नहीं मिल पाया। खट्टर की इच्छानुसार मई 2017 में तत्कालीन प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण ने तमाम कायदे कानूनों को ताक पर रखते हुए उसे डीटीपी (ज़िला टाउन प्लानर) बना दिया था। इसके कुछ समय बाद आये प्रधान सचिव सिद्धि नाथ रॉय ने इसे अक्टूबर 2019 सीनियर टाउन प्लानर बना दिया। जानकार बताते हैं कि इस पद पर नियुक्ति पत्र लेकर महिपाल रात के 12 बजे चंडीगढ़ से आया था और सुबह होने का इन्तजार किये बगैर रात को पद भार सम्भाल लिया था और पहले से मौजूद डिग्रीधारक एसटीपी रवि सिहाग को चलता कर दिया था।

बेशक सरकारी प्रक्रिया अफ़सरशाहों द्वारा पूरी की जाती है लेकिन वह मंत्री अथवा मुख्यमंत्री की सहमति एवं मिलीभगत के बगैर पूरी नहीं होती। अर्बन लोकल बॉडीज विभाग में तैनात चाहे आनंद मोहन शरण रहें हों या एसएन रॉय अथवा कोई अन्य, सबका दस्तुर एक ही रहा है कि काम के अनुसार उनकी फ़ीस दस, बीस या तीस जो भी बनती हो उन्हें देने पर उनकी फ़ाइल पर सकारात्मक टिप्पणी लिखकर मंत्रायल में भेज दी जायेगी। वहां जो भी 'फ़ीस' लगे उसको वे जाने। यानी कि अफ़सरों का हिस्सा चुकाने के बाद मंत्रायलय का खर्चा अलग से देना होता है। इतना खर्चा करने के बाद सीट पर बैठकर महिपाल जैसे कोई भजन थोड़े ही न भजेंगे, बेखौफ़ होकर खुली लूट ही तो करेंगे।

अफ़सरशाही के सेवा के फ़लस्वरूप मात्र दसवीं पास यह व्यक्ति एमसीएफ़ के ओल्ड फ़रीदाबाद जोन का ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर भी तैनाती काट चुका है। विदित है कि यह पद केवल एचसीएस अधिकारियों के लिये निश्चित है। कभी कभार किसी मजबूरी के चलते, विशेष स्वीकृति के आधार पर निगम के किसी पढ़े-लिखे वरिष्ठ अधिकारी को इस पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता रहा है।

दो एफ़आईआर भी दर्ज हैं

महिपाल के विरुद्ध थाना सेंट्रल में दो एफ़आईआर भी दर्ज हैं। पहली

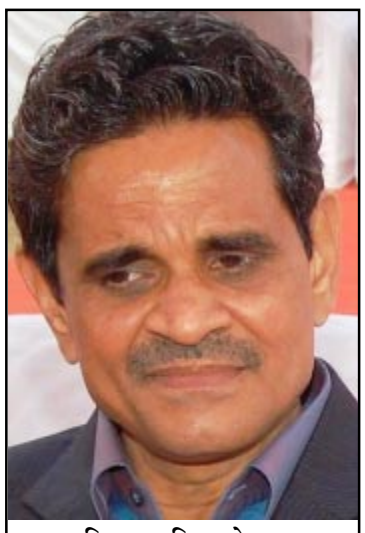

महिपाल : रिश्वत के बल पर मिली पदोन्नतियां

एफ़आईआर को दफ्तरी घोटालों से सम्बन्धित है तो दूसरी दहेज से सम्बन्धित है। दहेज वाली एफ़आईआर काफ़ी दिलचस्प इसलिये भी है कि महिपाल ने खुद अपने हाथ से लिख कर करोड़ों रुपये की वह सूची बनाकर दी है जिसे उसने अपनी बेटी के विवाह में दिया था। इसको लेकर अभी तक न तो आयकर विभाग ने और न ही पुलिस विभाग ने कोई ठोस कार्यवाही की है, नगर निगम विभाग ने तो करना ही क्या था?

जायदादों की सूची

खेड़ी गांव के मूल निवासी महिपाल की पुश्तैनी ज्यादाद के नाम पर तीन भाईयों के पास मात्र पौना एकड़ ज़मीन है। लेकिन लूट-मार की इस नौकरी के बल पर महिपाल के पास आज कम से कम 100 करोड़ की जायदाद है।

इनमें प्रमुख, सेक्टर 16 स्थित हीवा अपार्टमेंट्स में तीन बेडरूम वाला डीलक्स फ्लैट, सेक्टर 16 में ही साढे तीन सौ गज़ का मकान नम्बर 1724, अजरोंदा मोड़ पर विष्णु पैलेस-जो इसने खुद बना कर बेचा था उसमें एक दूकान 10 बाई 20 आज भी इसके पास है।

अपनी लूट कमाई को व्यवस्थित करने के लिये महिपाल ने 'राम संस एक्वा' नाम की बाकायदा एक कम्पनी अपनी अनपढ़ पत्नी के नाम से पंजीकृत कराई है। इसका पता मालवीय नगर दिल्ली का दिखाया गया है। इसी पते पर दर्जनों अन्य कम्पनियां भी पंजीकृत कराई हुई हैं। इसी कम्पनी के नाम पर होडल के करीब एक पेट्रोल पम्प भी है। दूसरा पेट्रोल पम्प धतीर गांव के निकट लगाने के लिये फ़ाइल तो चलाई गई थी, ज़मीन भी खरीद ली गई थी लेकिन काम अभी अधूरा है। इसके अलावा आस-पास के कई गांवों में खेती की ज़मीनें भी महिपाल ने खरीद रखी हैं। घूमने-फ़िरने के लिये एक फ़ॉरचूनर व एक आईटेन कार भी इसके पास है।

बेटे व बेटी की शादियां भी पंचतारा होटलों में की गई थीं। समझा जा सकता है कि ऐसे होटलों में शादी करने का खर्च कितना भारी-भरकम होता है। बेटी की शादी में तो इसने खुद-ब-खुद दहेज की लिस्ट बनाकर थाना सेन्ट्रल में दे रखी है जो करोड़ से ऊपर की है। यह सब लूट-कमाई का माल नहीं तो क्या है? ये तमाम तथ्य लिख कर न केवल खट्टर सरकार को बल्कि प्रधानमंत्री मोदी तक को भेजे जा चुके हैं। भेजने वाला और कोई नहीं खुद महिपाल का दामाद राहुल मलिक है। दोनों सरकारें बीते दो वर्षों से इन शिकायतों पर कुंडली मारे बैठी हैं। इसके बावजूद ये सरकारें भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था का दावा करते नहीं अघातीं।

एचपीएससी का डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर सवा करोड़ के साथ विजिलेंस ने दबोचा

चण्डीगढ़ ब्यूरो

चण्डीगढ़। सारे मामले के बारे में जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि 26 सितंबर 2021 को आयोजित डेंटल सर्जन की भर्ती को लेकर यह रिश्वत ली गयी थी। 20 लाख रुपए 17 नवंबर को भिवानी जिले के नवीन कुमार से पकड़े गए। उसने सारे मामले का खुलासा किया उसकी सूचना के बाद झज्जर के अश्विनी से एक एक करोड़ 7 लाख 97 हजार रुपए तलाशी में बरामद किए गए अश्विनी ने कहा कि यह पैसा अनिल नागर के बिहाफ पर लिया गया। रेड करने गई टीम ने अश्विनी से कहा अगर ऐसा है तो अनिल नागर को यह पैसा पहुंचाओ। इस एवज में अनिल नागर से अश्विनी द्वारा बात की गई और पैसे को सेक्टर 11 पंचकूला एचपीएससी के दफ्तर लाया गया और वहीं पर विजिलेंस की टीम ने अनिल नागर को भी उसी पैसे के साथ दबोच लिया।

भीड़ जुटाने के लिये रेहड़ी-फ़ड़ी वालों को बरगलाने में जुटी विधायक सीमा

फ़रीदाबाद (म.मो.) बड़खल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी सीमा त्रिखा द्वारा बीते सात साल में अपने क्षेत्र के लिये कोई भी ठोस काम न कर पाने के चलते उनकी लोकप्रियता का ग्राफ़ दिन-प्रति दिन गिरता जा रहा है। क्षेत्र के लोग नगर निगम द्वारा जनित सीवर, पेयजल, टूटी सड़कों को तो झेलते ही आ रहे हैं। इसके अलावा सीमा के आशीर्वाद से धड़ाधड़ अवैध कब्ज़े व अवैध निर्माण बढते जा रहे हैं। जनसाधारण द्वारा झेली जा रही किसी भी समस्या का हल सीमा नहीं करा पाई।

इसी के चलते दो वर्ष पहले हुए चुनाव में सीमा को मतदाताओं ने तो लगभग हरा ही दिया था, लेकिन सरकारी हेरा-फ़ेरी के द्वारा उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया था। इन दो सालों में भी सीमा ने कोई ऐसा काम नहीं कर दिखाया जिससे मतदाता उनके साथ जुड़ सकें। इन परिस्थितियों में सीमा त्रिखा अपने केन्द्रीय नेतृत्व के पदचिन्हों पर चलते हुए आम जनता को बहलाने-फुसलाने का उपक्रम करने में जुटी हैं। इसी श्रृंखला में उन्होंने 'स्वनिधि' नाम से एक शगूफ़ा उछाला है। इसमें प्रचारित किया जा रहा है कि रेहड़ी-फ़ड़ी लगाकर सामान बेचनेवालों को दस-दस हजार रुपये बतौर कर्ज दिये जायेंगे। यह रकम लेने के लिये इन लोगों को उनके निवास पर आकर अपने आप को पंजीकृत कराना होगा। इसकी अंतिम तारीख 30 नवम्बर बताई जा रही है।

लोगों ने जब इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और कोई भी उनके दर पड़ मत्था टेकने नहीं पहुंचा तो सीमा के लगुए-भगुओं ने आम लोगों को घेरघोट कर उनके आवास पर लाना शुरू किया। इसी तरह के कुछ

लोग 16 तारीख को उनके दरवाजे पर देखे गये। इन लोगों की संख्या से कहीं अधिक संख्या सीमा के अपने खास कार्यकर्ताओं व सुरक्षा स्टाफ़ की थी। आज कल सीमा को खतरा कुछ ज्यादा ही महसूस होने के चलते इनकी सुरक्षा में करीब 18 पुलिसकर्मी व दो पुलिस जिप्सियां तैनात रहती हैं। वैसे यह 'खतरा' केवल तीन साल तक का ही है, उसके बाद जब वे चुनाव हार जायेंगी तो उन्हें कोई खतरा नहीं रह जायेगा।

वहां मौजूद कुछ लोगों से आने का कारण इस संवाददाता द्वारा पूछा गया तो वे नहीं बता पाये कि उन्हें यहां क्यों एकत्र करके लाया गया है। इन लोगों के जवाब सुन कर सीमा के स्टाफ़ के कुछ लोगों ने आगन्तुकों को पाठ पढ़ाया कि वे 10000 रुपये पाने के लिये अपना नाम पंजीकृत कराने को यहां आये हैं।

अपने आप में यह बड़ी अजीब बात है कि यदि सरकार ने कोई ऋण अथवा अनुदान किन्ही लोगों को देना भी है तो उसके लिये विधायक सीमा का घर कैसे पंजीकरण स्थल हो सकता है। हां, यदि यह रकम सीमा त्रिखा या उनकी पार्टी बांट रही होती तो जनता को उनके द्वारे बुलाना उचित हो सकता था। लेकिन जब कोई काम सरकारी खजाने से होना हो तो उसके लिये सार्वजनिक घोषणा करके लोगों को किसी सरकारी कार्यालय में बुलाया जाना चाहिये था। लेकिन जिस गुप-चुप तरीके से सीमा त्रिखा यह नौटंकी कर रही हैं उससे लगता है कि लेना-देना खाक, मुहब्बत पाक।

आज रेहड़ी-फ़ड़ी वालों की सबसे बड़ी मुसीबत, उनके लिये कोई स्थान निश्चित न होना है। वे भरे बाजारों में जहां-तहां रेहड़ी लगा लेते हैं तो दुकानदार उनसे मोटा किराया वसूल करते हैं और निगम व पुलिस वाले डंडा फ़टकार कर फ़टीक वसूल करते हैं।

इसके साथ-साथ सड़कों पर लगने वाले जाम के लिये भी इन्हें ही दोषी माना जाना स्वाभाविक है। क्या ही अच्छा होता यदि सीमा एवं सरकार इन रेहड़ी-फ़ड़ी वालों के लिये क्षेत्र अनुसार कोई जगह विशेष निश्चित कर दे, जहां ये लोग निर्बाध रूप से अपनी रेहड़ी आदि लगा कर अपना व्यापार कर सकें।

यह अवधारणा कोई नई नहीं है। चंडीगढ़ जैसे शहर में लगभग प्रत्येक सेक्टर में रेहड़ी वालों के लिये प्रशासन द्वारा जगह निर्धारित कर दी गई है। रेहड़ी द्वारा सामान खरीदना-बेचना, बड़ी दुकानों की अपेक्षा काफ़ी सस्ता पड़ता है। इसलिये रेहड़ी आम जनता की एक खास जरूरत है। इस जरूरत को लंदन जैसे शहर में भी महसूस करते हुए वहां भी रेहड़ी बाजार अलग से लगते हैं।

रॉयल हेरिटेज सोसायटी में लगी आग: किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं

फ़रीदाबाद (म.मो.) नहर पार के सेक्टर 70 स्थित उक्त सोसायटी टावर नम्बर 19 फ्लैट नम्बर 1805 व 11 में लगी आग के लिये तो उन घरों के निवासियों को लापरवाह ठहराया जा सकता है, लेकिन घन्टों तक अग्नि शमन दस्तों का न पहुंचना, सोसाइटी में अग्नि शमन के अपने खुद के प्रबन्ध न होने के लिये कौन जिम्मेवार हैं?

किसी अपवाद को छोड़कर आग हमेशा किसी भूल-चूक अथवा लापरवाही से ही लगती है। इसके कारणों को ढूंढने में समय बर्बाद करने की बजाय पहली प्राथमिकता उसे बुझा कर जान-माल को बचाने की रहती है। इसी के लिये प्रशासन की ओर से विशेष नियम-कानून आदि बनाये जाते हैं।

इमारतों की ऊंचाई अधिकतम कितनी होगी इसकी स्वीकृति प्रशासन से प्राप्त करनी आवश्यक होती है। इमारत में बसने की अनुमति प्रदान करने से पहले अधिकारियों का दायित्व होता है कि वे तमाम तरह की जांच-पड़ताल के बाद ही इस तरह की अनुमति प्रदान करें।

इस अग्निकांड के पश्चात पता चला कि 20 मंजिला इस इमारत को स्वीकृति कैसे प्रदान कर दी गई जबकि अग्नि शमन दस्ते की आग बुझा पाने की रेंज मात्र 11 वीं मंजिल तक ही रही? नियमानुसार इमारत के भीतर आग लगने की परिस्थिति में ऑटोमेटिक सायरन बजने के साथ-साथ, विशेष लाल रंग के पाइपों से पानी की बौछार हो जानी चाहिये। इसके अलावा हर मंजिल पर आग बुझाने के उपकरण मौजूद होने चाहिये। इतना ही नहीं इन उपकरणों की एक निश्चित समय पर जांच-पड़ताल होने के साथ-साथ समय-समय पर आग बुझाने का अभ्यास भी किया जाना जरूरी होता है। इन सभी शर्तों की पुष्टि के पश्चात अग्नि शमन अधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है।

इस मामले में पाया गया कि सारे कानून व नियम ताक पर रख कर सोसायटी में लोगों को बसा दिया गया। सोसायटी के रख-रखाव के नाम पर प्रत्येक फ्लैट व मालिक से 4000 से लेकर 10000 रुपये तक से प्रतिमाह वसूले जाते हैं। इतनी रकम उगाही के बावजूद अग्नि शमन की ओर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्या उगाही गई रकम केवल डकारने के लिये वसूली गई थी?

सोसायटी को कम्पलीशन सर्टिफिकेट देते समय ज़िला टाऊन प्लेनर अथवा अन्य किसी अधिकारी ने क्या देखा था? क्या भवन निरीक्षण की बजाय केवल अपनी 'फ़ीस' का निरीक्षण किया था? इसी तरह अग्नि शमन अधिकारी जो लगातार अनापत्ति प्रमाण पत्र देते आ रहे हैं वे भी अपनी सीट पर बैठ कर केवल नोट ही गिनते हैं?

इन सबसे बढकर व भयंकर तथ्य यह रहा कि घटनास्थल के निकटतम अग्निशमन केन्द्र बल्लबगढ़, सेक्टर 15 ए व एनआईटी नेहरू ग्राऊंड के कोई भी टेलीफ़ोन काम नहीं कर रहे थे। उनके वैकल्पिक नम्बर ढुंढने में ही काफ़ी कीमती समय बर्बाद हो गया। जो नगर निगम केवल अग्निशमन के नाम पर करोड़ों रुपये नागरिकों से वसूलता है उसकी कार्यक्षमता तो जैसी है सो है, इनके फ़ोन तक भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06